न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 842 / 2024

अनवान : –

1. सुखविन्द्र पत्नी महावीर सिंह जाति धानक निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. आकाश पुत्र सुमित्रा पत्नी साहबराम जाति धानक निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. विकास कुमार पुत्र सुमित्रा पत्नी साहबराम जाति धानक निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. सुमन कुमारी पुत्री सुमित्रा पत्नी साहबराम जाति धानक निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
4. साहबराम पुत्र पोकरराम जाति धानक निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 14/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 33 / 32 की कुल 10.3730 हिस्सा भूमि में से 2 / 7 हिस्सा भूमि पोकर राम पुत्र हीराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है । वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पोकर राम पुत्र हीराराम के नाम दर्ज है जो की वादीया का ससुर है। पोकर राम पुत्र हीराराम का स्वर्गवास हो चुका है। पोकर राम पुत्र हीराराम ने अपने मृत्यु से पूर्व दिनांक 08.06.2011 को उक्त वादग्रस्त भूमि की वसीयत वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 की माता व 4 की पत्नी सुमित्रा देवी पत्नी साहबराम के पक्ष में गवाहन अलियास पुत्र असमाईल खां व रजवन्तसिंह पुत्र जगर सिंह की मौजूदगी में तहरीर करवाकर नोटेरी जसवन्त आर्य एडवोकेट नोहर से तस्दीक करवाई थी। वसीयत वसीयतकर्ता ने अपनी स्वैच्छा से बिना किसी दवाब के स्वस्थचित से तहरीर करवाई थी तथा गवाहान की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये थे यह वसीयत वसीयतकर्ता की प्रथम व अंतिम वसीयत थी। पोकरराम पुत्र हीराराम वादीया का ससुर था जिसके दो बेटे महावीर व साहबराम [illegible] पत्नी महावीर व सुमित्रा पत्नी साहबराम के पक्ष में बहिब करवाई थी जिसमे सुमित्रा का देहांत हो चुका है जिसके तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:49:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वारिसा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है व पति साहबराम प्रतिवादी संख्या 4 है इसलिए वसीयत भूमि में वादीया व सुमित्रा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बहिब हक हिस्सा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वाद भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 30 एनटीआर खाता स0 33/32 सम्वत 2070–73, मृत्यु प्रमाण पत्र पोकर राम, चित्रप्रति वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण सुमित्रा देवी, सदस्य प्रमाण पत्र व वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहान द्वारा शपथ पत्र पेश किय गये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है । वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पोकर राम पुत्र हीराराम के नाम दर्ज है जो की वादीया का ससुर है। पोकर राम पुत्र हीराराम का स्वर्गवास हो चुका है। पोकर राम पुत्र हीराराम ने अपने मृत्यु से पूर्व दिनांक 08.06.2011 को उक्त वादग्रस्त भूमि की वसीयत वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 की माता व 4 की पत्नी सुमित्रा देवी पत्नी साहबराम के पक्ष में गवाहन अलियास पुत्र असमाईल खां व रजवन्तसिंह पुत्र जगर सिंह की मौजूदगी में तहरीर करवाकर नोटेरी जसवन्त आर्य एडवोकेट नोहर से तस्दीक करवाई थी। वसीयत वसीयतकर्ता ने अपनी स्वैच्छा से बिना किसी दवाब के स्वस्थचित से तहरीर करवाई थी तथा गवाहान की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये थे यह वसीयत वसीयतकर्ता की प्रथम व अंतिम वसीयत थी। । पोकरराम पुत्र हीराराम वादीया का ससुर था जिसके दो बेटे महावीर व साहरा[illegible] पत्नी महावीर व सुमित्रा पत्नी साहबराम के पक्ष में बहिब करवाई थी जिसमें [illegible] है जिसके तीन वारिसा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है व पति [illegible] संख्या 4 है इसलिए वसीयत भूमि में वादीया व सुमित्रा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:49:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 33/32 की कुल 10.3730 हिस्सा भूमि में से 2/7 हिस्सा भूमि पोकर राम पुत्र हीराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पोकर राम पुत्र हीराराम के नाम दर्ज है जो की वादीया का ससुर है। पोकर राम पुत्र हीराराम का स्वर्गवास हो चुका है। पोकर राम पुत्र हीराराम ने अपने मृत्यु से पूर्व दिनांक 08.06.2011 को उक्त वादग्रस्त भूमि की वसीयत वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 की माता व 4 की पत्नी सुमित्रा देवी पत्नी साहबराम के पक्ष में गवाहन अलियास पुत्र असमाईल खां व रजवन्तसिंह पुत्र जगर सिंह की मौजूदगी में तहरीर करवाकर नोटेरी जसवन्त आर्य एडवोकेट नोहर से तस्दीक करवाई थी। वसीयत वसीयतकर्ता ने अपनी स्वैच्छा से बिना किसी दवाब के स्वस्थचित से तहरीर करवाई थी तथा गवाहान की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये थे यह वसीयत वसीयतकर्ता की प्रथम व अंतिम वसीयत थी। । पोकरराम पुत्र हीराराम वादीया का ससुर था जिसके दो बेटे महावीर व साहराम दोनो की पत्नी सुखविन्द्र पत्नी महावीर व सुमित्रा पत्नी साहबराम के पक्ष में बहिब करवाई थी जिसमें सुमित्रा का देहांत हो चुका है जिसके तीन वारिसा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है व पति साहबराम प्रतिवादी संख्या 4 है इसलिए वसीयत भूमि में वादीया व सुमित्रा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बहिब हक हिस्सा है, वादीया के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा के अनुसार पोकर राम पुत्र हीराराम ने दिनांक 08.06.2011 को उक्त वादग्रस्त भूमि की वसीयत वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 की माता व 4 की पत्नी सुमित्रा देवी पत्नी साहबराम के पक्ष में गवाहन अलियास पुत्र असमाईल खां व रजवन्तसिंह पुत्र जगर सिंह की मौजूदगी में तहरीर करवाकर नोटेरी जसवन्त आर्य एडवोकेट नोहर से तस्दीक करवाई थी। वसीयत के संबंध में दो गवाहान अलीयास पुत्र असमाईल खां जाति अराई निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर, रजवन्तसिंह पुत्र मगरसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया की पोकर राम पुत्र हीराराम ने अपने मृत्यु से पूर्व दिनांक 08.06.2011 को उक्त वादग्रस्त भूमि की वसीयत वादीया व प्रतिवादीया संख्या 1 ता 3 की माता व 4 की पत्नी सुमित्रा देवी पत्नी साहबराम के पक्ष में तहरीर करवाई थी। पोकरराम का देहांत हो चुका है पोकर राम ने उक्त वसीयत पर हमारे सामने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:49:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अंगूठा/हस्ताक्षर किये थे वसीयतकर्ता ने पूर्ण होश हवाश के साथ उक्त वसीयत तहरीर करवाई थी जो की सही व अंतिम वसीयत है। वसीयत के संबंध में सुखमिन्द्र पत्नी महावीर, सुमन कुमारी पत्नी अमनदीप, धर्मेन्द्र पुत्र अमीलाल, महावीर पुत्र पोकरराम, बुलविन्द्र अमीलाल ने शपथ पत्र पेश किये। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार सुमित्रा का देहांत हो चुका है। वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार सुमित्रा के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 33/32 की कुल 10.3730 हिस्सा भूमि में से 2/7 हिस्सा भूमि पोकर राम पुत्र हीराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक पोकर राम पुत्र हीराराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादीया को व 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:49:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 842/2024

अनवान : –

1. सुखविन्द्र पत्नी महावीर सिंह जाति धानक निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. आकाश पुत्र सुमित्रा पत्नी साहबराम जाति धानक निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. विकास कुमार पुत्र सुमित्रा पत्नी साहबराम जाति धानक निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. सुमन कुमारी पुत्री सुमित्रा पत्नी साहबराम जाति धानक निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
4. साहबराम पुत्र पोकरराम जाति धानक निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 842 सन 2024 निर्णय दिनांक 14/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 33/32 की कुल 10.3730 हिस्सा भूमि में से 2/7 हिस्सा भूमि पोकर राम पुत्र हीराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक पोकर राम पुत्र हीराराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादीया को व 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:49:34 IST
Reason: SelfAttested